आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
06/04/2014	**उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।** R.M.A Case No. -14/2013-14 बाबु सिंह टुडू **बनाम** 16 आना रैयत मौजा-गड़सिमला। **आदेश** यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद Settlement Case No-08/2010-11 में दिनांक-20.09.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील है। अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद Settlement Case No-08/2010-11 में दिनांक-20.09.2013 को पारित आदेश द्वारा बाबु सिंह टुडू, पिता-स्व0 मोबीन टुडू, ग्राम-विजयपुर, थाना-कुण्डहित, जिला-जामताड़ा द्वारा मौजा-गड़सिमला अनावादी खाता सं0-10, दाग सं0-77 के कुल रकवा-1.89, किस्म-पुरातन पतित भूमि का संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 28 के तहत बंदोबस्ती किये जाने की अनुरोध को खारिज किया गया है। अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि अपीलकर्त्ता मौजा-गड़सिमला का जमाबंदी रैयत है। मौजा-गड़सिमला के अनावादी खाता सं0-10, दाग सं0-77 के कुल रकवा-1.89 किस्म-पुरातन पतित गत सर्वे सेटेलमेंट खतियान में दर्ज है। उनके द्वारा उक्त दाग का 1.89 एकड़ जमीन को बाड़ी एवं धानी खेत में परिवर्तित किया गया है तथा बंदोबस्ती हेतु आवेदन देने के लगभग 7 वर्ष पूर्व से ही सब्जी इत्यादि का खेती किया जाता है। प्रश्नगत जमीन की बंदोबस्ती हेतु अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय जामताड़ा द्वारा अंचल अधिकारी कुंडहित से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। अंचल अधिकारी कुंडहित के पत्रांक-930/रा0,दिनांक-20.10.2011 द्वारा हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा मौजा-गड़सिमला के दाग सं0-77 से अंश रकवा-1.89 एकड़ जमीन की बंदोबस्ती की अनुशंसा में सहमति जताया है। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन में ट्रेस मैप संलग्न किया गया। इसके बावजूद भी अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा के न्यायालय द्वारा Settlement Case No-08/2010-11 में दिनांक-20.09.2013 को पारित आदेश द्वारा प्रश्नगत जमीन का बंदोबस्ती अपीलकर्त्ता को प्रदान नहीं किया गया। उत्तरवादी 16 आना रैयत है। मौजा-गड़सिमला 16 आना रैयत को नोटिस निर्गत किया गया, नोटिस तामिला प्राप्त है। 16 आना रैयत का कोई आपत्ति आवेदन अप्राप्त है। अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अभिलेख में संलग्न कागजातों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। अपीलकर्त्ता द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में मूल आवेदन में अपने को मौजा-विजयपुर का स्थायी निवासी अंकित किया गया है, जबकि अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय के मूल आवेदन में मौजा-गड़सिमला का जमाबंदी रैयत अंकित किया गया है। आवेदक जाति के संथाल है। निम्न न्यायालय में अपीलकर्त्ता द्वारा माँगे गए जमीन मौजा-गड़सिमला के दाग सं0-77 के कुल रकवा-1.89 एकड़ है लेकिन उक्त दाग संख्या के सम्पूर्ण जमीन को एक व्यक्ति को बंदोबस्ती दिया जाना संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 28 (a) के तहत तर्कसंगत नहीं है। पुनः निम्न न्यायालय में भी अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय जामताड़ा में मौजा-गड़सिमला के जमाबंदी रैयत होने का उल्लेख नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी कुंडहित के पत्रांक-930/रा0, दिनांक-22.10.2011में अंकित है कि आवेदित जमीन में से 60 डी0 जमीन बाड़ी-II बनाकर दखल किया जा रहा है। शेष जमीन का स्पष्ट दखल कब्जा का प्रतिवेदन नहीं है। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय जामताड़ा के Settlement Case No-08/2010-11 में दिनांक-20.09.2013 को पारित आदेश तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में त्रुटिपूर्ण नहीं है। लेकिन अपीलकर्त्ता द्वारा अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में मूल आवेदन में मौजा-गड़सिमला के जमाबंदी रैयत होने का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार आवेदक का मौजा-विजयपुर के खतियानी जमाबंदी रैयत होने के साथ-साथ मौजा-गड़सिमला का जमाबंदी रैयत होते हुए प्रश्नगत जमीन के अंश रकवा को बंदोबस्ती किये जाने का अनुरोध वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्थलीय जाँच का विषय है। अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय, जामताड़ा के वाद Settlement Case No-08/2010-11 में दिनांक-20.09.2013 को पारित आदेश को निरस्त (set aside) करते हुए वाद पुनर्विचार हेतु वापस	

सं0-77 के कुल रकवा-1.89 एकड़ के अंश भूमि हेतु अपीलकर्त्ता के मौजा-गड़सिमला का खतियानी रैयत होने या न होने के संबंध में स्थलीय जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् एवं सुयोग्य श्रेणी के व्यक्ति हो तो प्रश्नगत जमीन का संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 28 का अनुपालन करते हुए बंदोबस्ती हेतु पुनर्विचार किया जा सकता है। वाद की कार्यवाही समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

Digitally signed by 127.0.0.1
Date: 2024.02.21 10:11:52 +05:30
Location: 192.168.43.106